भयभीत है जिस तरह आपातकाल में नसबन्दी करने वाले लोगों से भयभीत थे। आश्चर्य यह है कि जो कारखानेदार हरियाणा वित्त निगम या अन्य कर्मशियल बैंकों से लाखों रुपये लेकर डकार गये, उनके विरुद्ध ऐसा कोई पग नहीं उठाया जाता। ग्रामीण लोगों को बैंकों आदि से जो ऋण ट्रेक्टर, थरैशर, ट्युबवैल मोटर आदि के लिये दिया जाता है वह भी उन्हें सीधा नहीं दिया जाता बल्कि मन्जूर-शुदा दुकानदारों के द्वारा दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें कम से कम 15-20 प्रतिशत अधिक दाम देने पड़ते हैं। ग्रामीण लोगों के साथ इस सौतेली मां जैसे वर्ताव को तो हटाने के लिये भजन लाल सरकार ने क्या कार्यवाही करनी थी उलटा उनकी गेहूं के जब 130 रुपये प्रति क्विन्टल से फालतू बिकने का अवसर आया तो किसानों को फालतू कीमत का लाभ दिलाने की बजाये ऐसे हालात पैदा कर दिये, जिस से फालतू दाम देने वाले ग्राहकों को मण्डियों से भागना पड़ा। भारत सरकार ने 130 रुपये प्रति क्विंटल के निचले दाम निश्चित किये थे न की ऊपर के दाम। भजन लाल सरकार की इस गलत नीति से हरियाणा के किसानों को कई करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इन्हीं सब बातों का परिणाम है कि भजन लाल सरकार की छवि आज जितनी कम है, उतनी कम किसी सरकार की भी नहीं थी। और अब गढ़वाल हलके में हरियाणा की पुलिस भेज कर तो रही सही सांख भी खतम कर ली। चुनाव आयोग को वह सारा चुनाव रद्द करना पड़ा। इन्हीं गलत कामों का परिणाम है कि लोक सभा के इन उप चुनाव में कहीं 75 प्रतिशत और कहीं 70 प्रतिशत मतदाताओं ने अपना मतदान जैसा कीमती अधिकार का भी प्रयोग नहीं किया। इस से ज्यादा शोचनीय हालात प्रजाराज प्रणाली मानने वालों के लिये और क्या हो सकते हैं!

# आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता

(बाबू जी के विचार जो 'हरियाण तिलक' के विशेषांक में 27 जनवरी, 1981 को प्रकाशित हुए श्री जैन उस समय हरियाणा विधान सभा में विपक्षी नेता थे)

राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति एक पड़ाव था अन्तिम मन्जिल (लक्ष्य) नहीं था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बिना अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचना कठिन ही नहीं असभव था अन्तिम लक्ष्य है आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता। अर्थात सभी देशवासी आर्थिक दृष्टि से किसी अन्य देशवासी का दास न हो और सामाजिक दृष्टि से जन्म के आधार पर ऊंचे नीचे न समझे जावें।

स्वतन्त्रता संग्राम में लगे हुए कितने ही स्वतन्त्रता सेनानी यह समझते थे कि स्वतन्त्रता मिलने पर देश को गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व गरीबी-अमीरी के फर्क जैसी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। पर आश्चर्य है कि इन स्वतन्त्रता सेनानियों में से कितने सारे ऐसे थे जिनको यह आशा थी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उक्त समस्याएं कुछ दिनों में स्वतन्त्र भारत की हकूमत ही हल कर लेगी और जनता को उसके लिए नया संघर्ष छेड़ने की जरूरत न होगी। यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन्हीं स्वतन्त्रता सेनानियों में से जो लोग हकूमत में आये, विधायक बने या सदस्य लोकसभा या प्रान्तों व केन्द्र में मन्त्री बने, उनमें से प्रायः सभी ने राजनीतिक स्वतन्त्रता को पड़ाव नहीं मंजिल समझ लिया और मन्जिल पर पहुँचने पर यात्रियों का काफिला स्वाभाविक तौर पर जैसे आराम करना अपना अधिकार समझता है वैसे ही स्वतन्त्रता के बाद प्रायः इन मित्रों ने ऐसा समझा और अमल किया। बहुत कम सेनानी ऐसे थे जिनका यह विश्वास था और अब भी है कि आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता की मन्जिल नये जन आन्दोलन के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती।

अब ऐसा प्रतीत होता है कि काफिला मंजिल भूल गया है और भारतीय नर-नारी प्राय राजनैतिक स्वतन्त्रता से प्राप्त फल को चखने में व्यस्त हो गए है। इसके अतिरिक्त यह जानना भी जरूरी है कि जैसे गुलामी के युग में हम अपने तमाम दुःखों का कारण ब्रिटिश साम्राज्य को समझते थे वैसे आज हमारी बढ़ती हुई बेरोजगारी, गरीबी, अत्याचार कमरतोड़ महगाई व गरीबी-अमीरी के फर्क का जिम्मेदार कौन है? इन बातों की तरफ जिन जिन देशवासियों का ध्यान जाएगा तो यही भारत की भयानक समस्यायें कांटे की तरह उनके दिलों में चुभने लग जाएंगी। और फिर यह भी निश्चय हो जाएगा कि इन सब समस्यायों की जिम्मेदारी सरमायेदारी अर्थ व्यवस्था है, तो इस सरमायेदारी ढांचे को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ कर देशवासी इस सरमायेदारी व्यवस्था के विरुद्ध नया आन्दोलन आरम्भ कर देंगे।

इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता की मन्जिल तक पहुँचने के लिये आवश्यक था और है कि एक दल सरमायेदारी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने वालों का बनता और विरोधी दल सरमायेदारी के हिमायतों का। बड़े सरमायेदार भारत में गिनती के हैं। उनमें से कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। परन्तु सरमायेदाराना ज़हनीयत (विचारधारा) इन सरमायदारों के इलावा और बहुत लोगों की हो गई है।

सबसे पहले इस विचारधारा को बदलना है। मुझे यकीन है कि जितनी जल्दी भारत के बुद्धिजीवी और साधारण नागरिक इन बातों को समझेंगे कि भारत को आज की भयानक समस्यायें जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, सरमायेदारी व्यवस्था की उपज है और सरमायेदारी व्यवस्था को समाप्त या बदले बिना उनका समाधान नहीं हो सकता, उतनी जल्दी न केवल उनकी जहनीयत बदलेगी, अपितु वह सरमायेदारी ढांचे को बदलने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी और आन्दोलन के लिए तैयार होते जावेंगे। सरमायेदारी व्यवस्था को हटाने के लिए एक नए संग्राम की तैयारी करनी है।

downloaded from mdchandra.in.org

साम्यवादी भाई अपने ढंग से इस संग्राम में जुटे हुए हैं। इसी मार्ग पर चलकर ही सरमायेदारी व्यवस्था खत्म की जा सकती है या भारत का कोई महापुरुष समन्वय को अपनी पुरानी परम्परा पर चलते हुए कोई और मार्ग निकालेगा या अब से पहले कोई और मार्ग हमारे सामने आ चुका है इन बातों पर गहराई से विचार करना है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं समझता हूँ कि गांधी जी व आचार्य विनोबा जी ने हमें समन्वय के इस मार्ग को दर्शाया है। परन्त पड़ाव को मंजिल समझने वाले और स्वार्थी नेताओं की सहायता से भारत के सरमायेदारों ने इस मार्ग को सफल नहीं होने दिया। अपने धन को घरोड़ (ट्रस्ट) नहीं समझा और न घरेलू और छोटे धन्धों को पनपने दिया। जो वस्तु हाथ से घरों में या छोटी मशीनों से पैदा की जा सकती है, उन्हें बड़े कारखानों द्वारा पैदा करने से रोकने की नीति को नहीं चलने दिया। फलस्वरूप सरमायेदारी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है और बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, मंहगाई और ऊंच नीच का फर्क जैसी समस्यायें भयानक रूप धारण करती जा रही हैं। मेरा यकीन है कि बिना अहिंसक संघर्ष और कुर्बानी के भारत की सरमायेदारी व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता। इस लिये मैं सभी देश वासियों और विशेषकर नौजवानों से अपील करता हूं कि वे उक्त बातों पर गहराई से विचार करें और सामाजिक व आर्थिक स्वतन्त्रता की मंजिल पर पहुँचने के लिए त्याग के मार्ग पर चलने के लिए कमर कस लें।

सरमायेदर भाइयों से भी मैं अपील करता हूं कि वो गांधी जी और आचार्य बिनोबा जी के विचारों को समझें। देश एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। प्रतिक्रियावादी शक्तियों का सहारा लेते रहे तो हो सकता है कि देश को शान्तिमय क्रान्ति के बजाय खूनी क्रांति से गुजरना पड़े। उन्हें और सभी बुद्धिजीवियों को सरहदी गांधी (आज के महापुरुष) ने जो चेतावनी अभी भारत आने पर दी है, उसे नहीं भूलना चाहिए।

## रोहतक में आयोजित हरियाणा के बुद्धिजीवियों की पहली कन्वैन्शन में 9 अक्तूबर, 84 को बाबू जी द्वारा दिया गया भाषण

प्रिय मित्रों,

हरियाणे के बुद्धिजीवियों की इस पहली कनवेन्शन में शामिल होने वाले आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप का बहुत आभारी हूं, कि आपने मुझे इस कनवेन्शन का अध्यक्ष चुना। मैं जानता हूं कि मुझ से बहुत अधिक बुद्धिमान और अनुभवी मित्र हरियाणे में मौजूद हैं फिर भी आप ने मुझ पर ये जिम्मेवारी डाली। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो मुझे इस जिम्मेवारी को निभाने की शक्ति दे।

2. अपनी बात कहने से पहले आप सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस कनवैन्शन की जरूरत को महसूस किया और हरियाणे के सभी जिलों से प्रतिनिधी उस में शामिल हुए। विशेष कर मैं श्री रघुवीर सिंह हूडा का धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे भी प्रेरणा दी जिसके फलस्वरूप मैं वकील मित्रों के कुरुक्षेत्र सम्मेलन में शामिल हुआ। जहां यह निर्णय हुआ कि न केवल वकील भाईयों को किन्तु अन्य वर्गों—युनिवर्सिटी व स्कूल अध्यापक, डाक्टर इन्जीनियर व अन्य बुद्धिजीवियों की बड़ी कनवैन्शन रोहतक में बुलाई जाए इसीलिये इस कनवैन्शन में शामिल होने के लिए आपको पत्र लिखे।

3. श्री रघुवीर सिंह हुडा और मैंने साल 1975-77 की अमरजैन्सी के दौरान नजरबन्दी का कुछ समय इकट्ठे जेल में व्यतीत किया। उस समय के सम्पर्क और आपसी बातचीत के कारण मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। कुरुक्षेत्र कनवैन्शन में शामिल होने के लिये उनके पत्र का मैंने जवाब दिया कि परिस्थिति अति गम्भीर है। ऐसी कनवैन्शनों से क्या लाभ होगा? यह तो ऐसा ही प्रयत्न होगा जैसे किसी मकान को गर्म पानी से जलाने का प्रयत्न हो। मेरे पत्र का श्री रघुवीर सिंह हुडा जी ने निम्न जवाब दिया। (अंग्रेजी में), मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हम हरियाणा निवासियों के सामने भी इतिहास की चुनौती है। भारत के आसमान पर कभी कोई खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न हुई तो हमने बौधिक दृष्टि से उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। यदि हम अपने प्रान्त के बुद्धिजीवियों को यह एहसास करा सकें कि राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है और देश के बुद्धिजीवी वर्ग (हरियाणे का बुद्धिजीवी वर्ग जिसका एक हिस्सा है) को इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए। तो फिर हमारा कर्तव्य है कि उसके लिये प्रयत्न करें और मैं अपनी ओर से इस काम को करने योग्य मानता हूं"।

4. इस पत्र के मिलने पर मैंने कुरुक्षेत्र कनवैन्शन में शामिल होने का निर्णय कर लिया। दो-ढाई साल पहले मैंने हरियाणे के सैकड़ों बुद्धिजीवी मित्रों और नेताओं को पत्र लिखें थे कि "World council for Sikh affairs" की भान्ति हरियाणे के बुद्धिजीवियों की भी ऐसी कौंसल बनानी चाहिए। कुछ मित्रों ने इसका स्वागत किया और कुछ ने निराशाजनक जवाब दिये। परन्तु मामला बीच में ही रह गया। आज की कनवैन्शन में आप निर्णय करें तो हरियाणे के भविष्य में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी जांच पड़ताल के बाद अपना मत निश्चित करने और उसे जनता में ले जाने के लिये हरियाणे के बुद्धिजीवियों की ऐसी कौंसील मनोनीत की जा सकती है। और मेरी राय में ऐसा स्थाई संगठन बनाना चाहिये।

5. दुर्भाग्य तो यह है कि हरियाणे में राजनैतिक पार्टीयां भी देश के जवलन्त प्रश्नों पर बहुत कम अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। बुद्धिजीवी वर्ग तो प्रायः उदासीन रहता है। हरियाणे का अलग राज्य बनाने में किन महानुभावों ने काम किया, क्यों किया, किसने विरोध किया, क्यों किया, यह बातें हरियाणे का बुद्धिजीवी जानता और जनता के सामने रखता, तो जिन लोगों ने हरियाणा प्रान्त का खुलम-खुला विरोध किया, वो तुरन्त पश्चात हरियाणे के मुख्यमन्त्री नहीं बन सकते थे। हरियाणा बनने की खुशी में हम पहली नवम्बर को छुट्टी मनाते हैं; तो जिन नेताओं ने हरियाणा बनते समय हर प्रकार के रोड़े अटकाये वो कैसे हमारे सम्मान के पात्र हो सकते हैं। इसी प्रकार रावी, सतलुज नदियों के पानी का झगड़ा है। चण्डीगढ़ और अबोहर फाजिल्का का मामला है। जिस सिक्ख कौन्सल की मैंने ऊपर चर्चा की है उसने बहुत

downloaded from moorchandjain.org